आकड़ों के संग्रहण एवं सर्वेक्षण कार्य के प्रशिक्षण हेतु अर्हता एवं शर्ते

भारत सरकार की एस0एस0एस0 योजनान्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों से प्राप्त चयनित एवं उपयुक्त शिक्षित युवाओं को **'आकड़ों के संग्रहण एवं सर्वेक्षण'** विषयक 04 दिवसीय प्रशिक्षण वर्ष 2019-20 में माह अगस्त 2019 से माह फरवरी 2020 के मध्य कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त विषयक प्रशिक्षण हेतु स्नातक उपाधि प्राप्त ऐसे विद्यार्थियों/युवको/युवतियों से आवेदन पत्र आमंत्रित है जो मुख्यत: सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र अथवा कामर्स विषय से विद्यार्थी रहे हों तथा सर्वेक्षण कार्य सम्बन्धी कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरान्त सर्वेक्षण कार्य हेतु प्रभाग या अन्य शासकीय विभागों को जनपद स्तर पर ही अपनी सेवा देने हेतु तत्पर हों। प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पात्रता वाले प्रशिक्षणार्थियों को आवासीय एवं भोजन इत्यादि की व्यवस्था नि:शुल्क उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त प्रशिक्षण अवधि के लिए प्रशिक्षणार्थियों को अनुमन्यता के अनुसार अनुतोष के साथ आने-जाने का वास्तविक यात्रा व्यय भी देय होगा। प्रशिक्षणार्थियों का निर्धारण सम्बन्धित जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा विकासखण्ड वार (प्रत्येक विकास खण्ड स्तर पर अधिकतम एक प्रशिक्षाणार्थी) **''प्रथम आगत-प्रथम पावत''** के आधार पर किया जायेगा। उक्त प्रशिक्षण प्राप्त करने का कोई सम्बन्ध सरकारी नौकरी से नहीं है और न ही इसके आधार पर कोई दावा प्रस्तुत किया जा सकता है।

जनपद स्तर पर यथासम्भव जनपद के विकास खण्डों की संख्या के अनुरूप प्रत्येक विकास खण्ड से एक प्रशिक्षणार्थी का चयन किया जाना है जिनकी सेवायें प्रशिक्षणोपरान्त सम्बन्धित विकास खण्ड के लिए सर्वसुलभ हो सके। जिन जनपदों से प्रशिक्षणार्थियों का निर्धारण होना है उन जनपदों का विवरण वेबसाइट सूचना के बिन्दु सं0 02 पर उपलब्ध है।

प्रशिक्षण प्राप्त करने हेतु आवश्यक निर्देश-

1- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी द्वारा वेबसाइट सूचना के बिन्दु सं0 03 पर उपलब्ध प्रारुप के अनुसार प्रार्थना पत्र भरा जाना है। प्रार्थना पत्र के साथ बिन्दु सं0 04 पर उपलब्ध निर्धारित प्रारुप पर पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र तथा बिन्दु सं0 05 पर दिये गये

प्रारुप पर रू0 10/- के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा जारी शपथ पत्र संलग्न किया जाना है।

2- प्रशिक्षणार्थियों से प्राप्त प्रार्थना पत्र को सम्बन्धित जनपद के अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा अग्रसारित किया जाना है तथा आवेदन पत्र में चस्पा किये गये फोटो को अभिप्रमाणित किया जाना है। आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाने वाले पहचान/पते के प्रमाण पत्र व शैक्षिक योग्यता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/अंक पत्र की प्रतियों को भी सम्बन्धित अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा मूल प्रति से मिलान के उपरान्त प्रमाणित किया जाना है।

3- प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी का एक अतिरिक्त फोटो जिसके पीछे उसके हस्ताक्षर हो अलग से उपलब्ध करायी जानी है।

प्रशिक्षण हेतु उपयुक्त पात्रता वाले इच्छुक युवक/युवतियाँ अपने जनपद के विकास भवन स्थित जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी कार्यालय में दिनांक **05-07-2019** तक प्रार्थना पत्र जमा कर सकेंगे।